

प्रपत्र-21

आम सभा सहमति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 18-09-14 को चोरगलिया एवं गौलापार क्षेत्र के ग्रामवासियों आम विकास खण्ड हल्द्वानी, तहसील-हल्द्वानी, जिला-नैनीताल में आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी० ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु समरेखण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ। सभी ग्रामीणों ने एकमत एवं एक स्वर में उक्त सेतु व पहुंच मार्ग निर्माण से सहमति व्यक्त की तथा उक्त समरेखण के अनुसार सेतु व पहुंच मार्ग निर्माण से किसी भी ग्रामीण को कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत लखवाला कटान
वि० ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

पंकज बजेटा
सदस्य क्षेत्र पंचायत
01-लाखन मण्डी,
विकास खण्ड हल्द्वानी

(उत्तरपति बेलवाल)
प्रधान
ग्राम पंचायत लाखनमण्डी
वि० ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

ग्राम पंचायत नयागांव कटान
वि० ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र-22

Cost Benefit Ratio Chart

Name of Project - जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

(उक्त प्रस्ताव हेतु आवश्यकता नहीं है।)

अ. नं० ९
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
इलाहाबाद (देवीबास)

क
अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
इलाहाबाद (देवीबास)

७

प्रपत्र-22.1

Annexure-VI (B)

Name of Project:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

(उक्त प्रस्ताव हेतु आवश्यकता नहीं है।)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, प्र०० नि० वि०
इलाहाबाद (बेबीबाद)

अधिसूचक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, प्र०० नि० वि०
इलाहाबाद (बेबीबाद)

ॐ

प्रपत्र-22.2

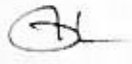
Annexure-VI (C)

Name of Project:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

(उक्त प्रस्ताव हेतु आवश्यकता नहीं है।)


सहायक अभियन्ता
सिटीय ब्यूरो, लो० नि० वि०
रूढ़ी (नैनीताल)


अभिजात अभियन्ता
भगवांन ब्यूरो, लो० नि० वि०
रूढ़ी (नैनीताल)



प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रैड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-लाखनमण्डी
तहसील हल्द्वानी, जिला-नैनीताल,

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रैड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.46 हे० आरक्षित वन भूमि, .00 हे० सिविल सोयम भूमि .00 हे०, वन पंचायत भूमि .00 हे०) अर्थात् कुल 0.46 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लाखनमण्डी द्वारा दिनांक 18.9.2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम लाखनमण्डी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हो/-
ग्राम पंचायत लाखनमण्डी
हो/-
हल्द्वानी (नैनीताल)

हो/-
ग्राम प्रधान
(छत्रपति बेलवाल)
ग्राम पंचायत लाखनमण्डी
वि०ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

दिनांक 12-7-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - लाखनमण्डी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	बलवंत सिंह तूखोनी	Balwant Singh
(2)	सुरा लमगाडिया	Sura
(3)	सुरेश शर्मा	Suresh
(4)	देव-प्रिय विक्रमल	Dev-Pray Vikramal
(5)	सुरेश चौहान	Suresh
(6)	विजय ठाकुर	Vijay
(7)	कमलेश मेहरा	Kamlesh
(8)	देव-प्रिय चौहान	Dev-Pray
(9)	कमलेश लज्जा	Kamlesh
(10)	वीरधर शुक्ल	Veerdhara
(11)	प्रेम कुमार	Prem
(12)	देव-प्रिय कुमार जांगी	Dev-Pray
(13)	विक्रम सिंह	Vikram
(14)	दिनेश जोशी	Dinesh Joshi
(15)	दीपक चन्द आर्य (रस)	Deepak
(16)	प्रकाश चन्द पाण्डे	Prakash
(17)	कैलाश चन्द जोशी	Kailash
(18)	प्रदीप प्रताप	Pradip
(19)	रवीन्द्र गौरवामी	Ravi

हस्ताक्षर -
 ग्राम प्रधान
 (सहायक ग्राम प्रधान)
 ग्राम पंचायत लाखनमण्डी
 विन्ध्य हल्द्वानी (बिनीताल)

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०पीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, हल्द्वानी

उपखण्ड हल्द्वानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.46 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.46 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील हल्द्वानी) की दिनांक 7-11-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री हरबीर सिंह, उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री हरबीर सिंह उपजिलाधिकारी हल्द्वानी (अध्यक्ष)
- 2- श्री नवीन चन्द्र पन्त उप प्रभागीय वनाधिकारी गौला पूर्वी तराई वनप्रभाग हल्द्वानी (सदस्य)
- 3- श्री श्री के०आर० टम्टा सहायक समाज कल्याण अधिकारी हल्द्वानी (सदस्य/सचिव)
- 4- श्री निर्मला जोशी बी०डी०ओ० क्षेत्र हल्द्वानी (सदस्य)

Sub Divisional Magistrate
NAINITAL (Nainital)

Uttarakhand

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
हल्द्वानी (नैनीताल)

(गौला)

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के सदस्य क्षेत्र पंचायत के सदस्य द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०पीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 0.46 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, गौला पूर्वी तराई वन प्रभाग हल्द्वानी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड हल्द्वानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.46 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति (Nainital)
तहसील- हल्द्वानी
जनपद- नैनीताल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति (Nainital)
तहसील- हल्द्वानी
जनपद- नैनीताल

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुओं के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूंगी- हल्द्वानी- काठगोदाम- चोरगलिया- सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पांन के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुओं के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पांन के 0.46 है० आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि 0.46 है० प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी /अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, हल्द्वानी तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


ह०/-
जिलाधिकारी
Sub Divisional Magistrate
HALDWANI (Nainital)
Uttarakhand.


जिलाधिकारी
नैनीताल.

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु 0.46 है०.वन भूमि (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


Sub Divisional Magistrate
HALDWANI (Nainital)
Uttarakhand.

ह०/-
जिलाधिकारी


जिलाधिकारी
नैनीताल.

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM - 1
(for Linear projects)
Office of the District Collector - Nainital

No. ५२३

Dated 28-12-2014

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter no 11-9/98 & FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dates 5th February 2013 whereing MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.46 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Haldwani. (name of user agency) for Construction of Janpad Nainital ke Vidhan Sabha Khastra Lalkuan ke antargat Ramnagar-Kaladhungi-Haldwani-Kathgodam-Chorgalia-Sitarganj-Vijit Rajya Marg ke Km 80 Surya Nala me 100 mtr. Span ke R.C.C. Pre-Stared Concrete Satu wa Pauch Marg ka Nirman (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of Khera, Nawarkhera, Devla talla Pajaya, Devla Malla, Devla Talla Simlar, Kuwarpur, Lakhanmandi, Malla Pachaunia, Tall Pachaunia, Nayagaon Katan, Inderpur, Gangapur, Ummadpur, Jaipur Kholia, Sitapur, Madanpur, Devpur Devka, Basantpur, Ratanpur Negi, Udaypur Rakwal, Bhushapur, Dharampur, Devpur dani, Trilokpur dani, Haripur Tatola, Baskhera Ishwaridutt, Shelabhawar Trilok Singh, Shelabhawar Mehar Singh, Vijaypur, Jagatpur villages in Haldwani tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.46 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .). to annexure..५३.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribes and pre-agricultural communities.

Encl : As above.

Signature

(Sri Deepak Rawat)
District Collector, Nainital

जिलाधिकारी
नैनीताल.

प्रारूप - 30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT - NAINITAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Deepak Rawat, I.A.S. deputy commissioner, Nainital on dated 7-11-14 at time 11.30 at Surya Nala in which application claiming rights in 4600 Sq. Meter /area measuring 0.46 hect. for the construction of Construction of Janpad Nainital ke Vidhan Sabha Khastra Lalkuan ke antargat Ramnagar-Kaladhungi-Haldwani-Kathgodam-Chorgalia-Sitarganj-Vijit Rajya Marg ke Km 80 Surya Nala me 100 mtr. Span ke R.C.C. Pre-Stared Concrete Satu wa Pauch Marg ka Nirman forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Haldwani sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence district level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Nainital

Dated28-12-2014

Deputy Commissioner cum chairman

District Level Committee

जिलाधिकारी
नैनीताल

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आं०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार/भूमिवार/क्षेत्रफवार का विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं के लिय लागू)

क्र०सं०	घटक / कम्पोनेंट (Component)	आरक्षित वन भूमि (हे० में)	सिविल एवं सोयम वन भूमि (हे० में)	वन पंचायत भूमि (हे० में)	कुल वन भूमि (हे० में)	नाप भूमि (हे० में)	अभ्युक्ति

(केवल जल विद्युत परियोजनाओं के लिय लागू)

ह०/-

प्रयोक्ता एजेन्सी



अधिकांसी अजिदस्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

ह०/-

प्रभागिय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

(74)

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण।

परियोजना का मदवार विवरण

1. 100मी० स्पान आर०सी०सी० प्रिस्ट्रेड्ड कंक्रीट पुल निर्माण कार्य :-
 - (i) फाउन्डेशन हेतु आर०सी०सी० वैल का निर्माण कार्य।
 - (ii) सबस्ट्रक्चर (पियर, अब्टमेंट इत्यादि) का निर्माण।
 - (iii) सुपर स्ट्रक्चर (बीम व स्लैब, रेलिंग इत्यादि) का निर्माण।
 - (iv) पुल के सुरक्षात्मक कार्य।
2. पुल को पूर्वनिर्मित मार्ग से जोड़ने हेतु उसके दोनों ओर पहुँच मार्ग का निर्माण
 - (i) मिट्टी भरान का कार्य।
 - (ii) तीन सतहों में पत्थर कुटाई का कार्य।
 - (iii) बी०एम०/एस०डी०बी०सी० द्वारा लेपित सतह निर्माण कार्य।

104

सहायक अभियन्ता
निर्माण बण्ड, को० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

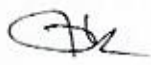
साधवाली अभियन्ता
निर्माण बण्ड, को० नि० वि०
हल्द्वानी (देवीघाट)

प्रपत्र-26

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-
कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80
सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

भू-वैज्ञानिक की आख्या

संलग्न है।

  
अध्यक्ष आंध्रप्रदेश
विश्वविद्यालय, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


बिबिवाली बनिपन्ना
विश्वविद्यालय, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

निरीक्षण सं० 13 / टा०फो०नैनी०/पुल/2014-15

कार्यालय भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जिला टास्क फोर्स, नैनीताल स्थित हल्द्वानी।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी-चौरगलिया-सितारगंज मोटर मार्ग के किमी० 80.00 में सूर्यानाला में 100.00 मीटर स्पान के तथा किमी० 82.00 में सूखी नदी (शेरनाला) में 120.00 मीटर स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेसड कंक्रीट सेतु के निर्माण हेतु स्थलों की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

प्रस्तावना:-

अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 681/4 सी, दिनांक 04.03.2014 के माध्यम से सन्दर्भित उपरोक्त चयनित स्थलों का भूगर्भीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02.04.2014 को कार्यदायी विभाग के प्रतिनिधि श्री सुरेश चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता एवं श्री जसवन्त सिंह रातेला, अमीन की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

स्थिति एवं भूगर्भीय संरचना:-

प्रस्तावित स्थल, हल्द्वानी-चौरगलिया-सितारगंज मोटर मार्ग पर स्थित हैं जहां मोटर मार्ग कई बरसाती नालों से होकर गुजरता है जो नाले दक्षिण की ओर मिलकर सूखी नदी का निर्माण करते हैं। वर्तमान में मोटर मार्ग के इन नालों से गुजरने वाले स्थलों पर कोजवे का निर्माण किया गया है। सामान्यतः इन बरसाती नालों में कोई जल प्रवाहित नहीं होता है तथा ये वर्ष भर सूखे रहते हैं जबकि वर्षाकाल में इन बरसाती नालों में अधिक जल प्रवाहित होने पर इस मोटर मार्ग में आवागमन बाधित होता है। इस मोटर मार्ग में स्थित दो नालों (1.सूर्यानाला एवं 2. शेरनाला) पर दो सेतुओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। यह दोनों नालें एवं इनके निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित मोटर मार्ग का सम्पूर्ण समरेखण आरक्षित वन भूमि से होकर गुजरता है। प्रस्तावित दोनों सेतुओं के निर्माण हेतु प्रत्येक सेतु में बनाये जाने वाले एबटमेन्ट की संख्या व क्षेत्र में उनकी स्थिति के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। प्रस्तावित दोनों सेतुओं की स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है:-

स्थल-01 (सूर्यानाला पर प्रस्तावित सेतु):-

प्रस्तावित स्थल, हल्द्वानी-चौरगलिया-सितारगंज मोटर मार्ग के किमी० 80.00 में स्थित है। स्थल पर स्थित मोटर मार्ग बरसाती नाले (सूर्यानाला) के मध्य से होकर जाता है। वर्तमान में नाले के मध्य कोजवे का निर्माण किया गया है जो नाले के बाहर स्थित मोटर मार्ग के स्तर से लगभग 1.5 मीटर कम ऊंचाई प्रदर्शित करता है। प्रस्तावित स्थल पर मोटर मार्ग का समरेखण 65° - 245° है। इस स्थल पर नाले की चौड़ाई लगभग 100 मीटर है तथा नाले का समरेखण 130° - 310° व बहाव की दिशा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर है। नाले के उत्तर-पूर्व व दक्षिण-पश्चिम की ओर सघन वृक्षाच्छादित भूभाग स्थित है जिससे होकर मोटर मार्ग गुजरता है। कार्यदायी संस्था के द्वारा प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर 100 मीटर लम्बाई व 12 मीटर चौड़ाई के सेतु का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। स्थल पर प्रस्तावित सेतु के दक्षिण-पश्चिम की ओर 70 मीटर लम्बाई व 20 मीटर चौड़ाई वाले सम्पर्क मार्ग तथा उत्तर-पूर्व की ओर 60 मीटर लम्बाई व 20 मीटर चौड़ाई वाले सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार स्थल पर कुल 4600 वर्गमीटर (0.46 हेक्टेयर) भूभाग, वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। निरीक्षण के समय स्थल पर उपस्थित कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित सेतु की नाले के वर्तमान स्तर से ऊंचाई 4.5 मीटर प्रस्तावित की गयी है।

आवेदित स्थल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट सं० 53 O/12 के अन्तर्गत आता है। स्थल समुद्र तल से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रस्तावित सेतु का दक्षिण-पश्चिमी किनारा (बिन्दु) निम्न अक्षांस व देशान्तर पर स्थित है:-

Photo Copy Attester

उत्तर $29^{\circ} 08' 42.4''$ अक्षांस
पूर्व $79^{\circ} 37' 49.6''$ देशान्तर

प्रस्तावित सेतु का उत्तर-पूर्वी किनारा (बिन्दु) निम्न अक्षांस व देशान्तर पर स्थित है :-

उत्तर $29^{\circ} 08' 43.9''$ अक्षांस
पूर्व $79^{\circ} 37' 53.2''$ देशान्तर

स्थल-02 (सूखीनदी/शेरनाला पर प्रस्तावित सेतु):-

प्रस्तावित स्थल, हल्द्वानी-चौरगलिया-सितारगंज मोटर मार्ग के किमी 82.00 में स्थित है। स्थल पर स्थित मोटर मार्ग बरसाती नाले (शेरनाला) के मध्य से होकर जाता है। वर्तमान में नाले के मध्य कोजवे का निर्माण किया गया है जो नाले के बाहर स्थित मोटर मार्ग के स्तर से लगभग 2.0 मीटर कम ऊंचाई प्रदर्शित करता है। प्रस्तावित स्थल पर मोटर मार्ग का समरेखण $120^{\circ}-300^{\circ}$ है। इस स्थल पर नाले की चौड़ाई लगभग 75 मीटर है तथा नाले का समरेखण $30^{\circ}-210^{\circ}$ व बहाव की दिशा उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर है। नाले के उत्तर-पश्चिम व दक्षिण-पूर्व की ओर सघन वृक्षाच्छादित भूभाग स्थित है जिससे होकर मोटर मार्ग गुजरता है। कार्यदायी संस्था के द्वारा प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर 120 मीटर लम्बाई व 12 मीटर चौड़ाई के सेतु का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। स्थल पर प्रस्तावित सेतु के उत्तर-पश्चिम की ओर 50 मीटर लम्बाई व 20 मीटर चौड़ाई वाले सम्पर्क मार्ग तथा दक्षिण-पूर्व की ओर 50 मीटर लम्बाई व 20 मीटर चौड़ाई वाले सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार स्थल पर कुल 4400 वर्गमीटर (0.44 हेक्टेयर) भूभाग वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। निरीक्षण के समय स्थल पर उपस्थित कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित सेतु की नाले के वर्तमान स्तर से ऊंचाई 4.5 मीटर प्रस्तावित की गयी है।

आवेदित स्थल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट सं 53 O/12 के अन्तर्गत आता है। स्थल समुद्र तल से लगभग 295 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रस्तावित सेतु का उत्तर-पश्चिमी किनारा (बिन्दु) निम्न अक्षांस व देशान्तर पर स्थित है :-

उत्तर $29^{\circ} 08' 16.0''$ अक्षांस
पूर्व $79^{\circ} 38' 43.2''$ देशान्तर

प्रस्तावित सेतु का दक्षिण-पूर्वी किनारा (बिन्दु) निम्न अक्षांस व देशान्तर पर स्थित है :-

उत्तर $29^{\circ} 08' 13.9''$ अक्षांस
पूर्व $79^{\circ} 38' 46.8''$ देशान्तर

भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से यह सम्पूर्ण क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग में स्थित बाह्य हिमालय के गिरीपाद में स्थित है। प्रस्तावित स्थल की सतह पर कठोर स्वस्थानिक चट्टानें दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। प्रस्तावित स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित भूभाग में सतह पर भूरे रंग की मृदा के साथ गोलीय कोबेल तथा पैबल के मिश्रण का मोटा आवरण है। स्थल पर एवं स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित खुले भूखण्डों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि स्थल पर नीचे की ओर कोबेल व पैबल के साथ अधिक मात्रा में बोल्डरों के मिश्रण के स्थित होने की सम्भावना है। प्रस्तावित स्थल नाले का मध्य भाग है जिसमें वर्तमान में कोबेल, पैबल व बोल्डर, बालू के साथ मिश्रित अवस्था में विद्यमान हैं। नालों में पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के चट्टानों के टुकड़ों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वर्षाकाल में अतिवृष्टि के समय इन नालों में अत्यधिक जल प्रवाहित होता

हागा जो नालों में बड़े बोल्टर व मलबा प्रवाहित करने की क्षमता रखता होगा। प्रस्तावित दोनो स्थल भाबर क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित हैं जिनमें भाबर क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना व्याप्त है। प्रस्तावित स्थल एक जलोढ़ पंख के अन्तर्गत स्थित हैं जिसका ऊपरी भाग, गोला नदी, सूखी नदी व इनकी सहायक नदियों द्वारा कालान्तर में अपने साथ बहाकर लाये गये नदीय अवसादों के स्थल पर निक्षेपित होकर कठोर हुये भाग से निर्मित हुआ प्रतीत होता है। स्थल पर ढलाने दृष्टिगोचर नहीं होती हैं तथा स्थल लगभग समतल है। स्थल-01 सूर्यानाला में सामान्य ढलाने दक्षिण-पूर्व की ओर तथा स्थल-02 शेरनाला में सामान्य ढलाने दक्षिण की ओर हैं। निरीक्षण के समय स्थल पर भूधंसाव के कोई चिन्ह सतह पर दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। स्थल वर्तमान में स्थिर (प्राकृतिक आपदा को छोड़कर) प्रतीत होता है।

सुझाव एवं शर्तें:-

प्रथम दृष्टया निरीक्षण के दौरान वर्तमान में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिससे कि निर्माण से भूखण्डों को कोई खतरा उत्पन्न हो, तथापि भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से सेतुओं का निर्माण करते समय निम्नलिखित सुझावों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा:-

1. स्थल पर सेतु, नालो के अधिकतम बाढ़ सतह के पर्याप्त ऊपर सेपटी फैक्टर्स के समाकलन के उपरान्त निर्मित किये जाने होंगे।
2. स्थल पर प्रस्तावित एबटमेन्ट्स के अप व डाउन स्ट्रीम तलों को सुरक्षा धारक दीवार व सी0सी0ब्लॉक्स से ट्रीट कर नाले के लेटरल व डाउनवर्ड कटिंग को न्यून किया जाना होगा।
3. स्थल वन भूमि होने की दशा में, वन संरक्षण अधिनियम-1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 में निहित सम्पूर्ण प्राविधानों एवं समय-समय पर पारित अन्य नियमों के अनुरूप वन विभाग से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना होगा।
4. एबटमेन्ट व सी0सी0 प्लम ब्लॉक्स का आधार नाले के बेस लेवल ऑफ इरोजन से यथा सम्भव नीचे ही रखा जाना होगा।
5. स्थल पर निर्माण कार्य करने से पूर्व, स्थल की भारग्रही क्षमता की जांच करायी जानी होगी तथा जांच के उपरान्त प्राप्त होने वाली संस्तुतियों के अनुरूप ही सेतुओं की डिजाइनिंग व एबटमेन्ट्स का निर्माण किया जाना होगा।
6. प्रस्तावित सम्पूर्ण भूभाग भूकम्पीय जोन IV में स्थित होने के कारण, सेतुओं की डिजाइनिंग व एबटमेन्ट्स के आधार का निर्माण भूकम्पीय जोन IV हेतु निर्धारित निर्माण के मानकों के अनुरूप तथा भूकम्परोधी तकनीक से ही किया जाना होगा।
7. नालों का निकटवर्ती क्षेत्र मृदा बाहुल्य क्षेत्र है अतः निर्माण कार्य में स्वाइल मैकेनिक्स के सुरक्षित व लॉजिकल सिद्धान्तों का अनुपालन किया जाये।
8. सेतुओं का निर्माण, पहाड़ी क्षेत्रों में सिविल इंजिनियरिंग के निर्माण कार्यों के लिये बी0आई0एस0 कोड में निर्धारित किये गये मानकों व नियमों के अनुसार ही किया जाना होगा।

अतः उपरोक्त सुझावों के अनुपालन की दशा में ही उपरोक्त स्थल भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से सेतुओं के निर्माण हेतु उपयुक्त (प्राकृतिक आपदा को छोड़कर) प्रतीत होते हैं। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा उपरोक्त सुझावों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं उक्त के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली भूगर्भीय दृष्टिकोण से विपरीत परिस्थितियों के लिये कार्यदायी संस्था स्वयं ही उत्तरदायी होगी।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Const. Division, P. W. D.
HALDWANI

(लेख राज)

सहायक भूवैज्ञानिक

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाहूँगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चौरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 नदी सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

  
 जिलाधिकारी अभियन्ता
 निर्माण विभाग, ज० नि० वि०
 हल्द्वानी (नैनीताल)


 जिलाधिकारी अभियन्ता
 निर्माण विभाग, ज० नि० वि०
 हल्द्वानी (नैनीताल)

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
- (iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants In.

(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


अतिरिक्त अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
हल्द्वारी (नैनीताल)


अतिरिक्त अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
हल्द्वारी (नैनीताल)

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख-रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो० नि० वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो० नि० वि० को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लो० नि० वि० द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध नहोने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य हैं।

बहालक अधिकारी,
विशेष सचिव, लो० नि० वि०,
इलाहाबाद (नेनीताल)

बहालक अधिकारी,
विशेष सचिव, लो० नि० वि०,
इलाहाबाद (नेनीताल)

मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूँगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त विषयक परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में उल्लेखित मानक शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, सो० नि० वि०
इलाहाबादी (नैनीताल)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, सो० नि० वि०
इलाहाबादी (बैतीबाब)

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-
कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80
सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०पीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।
धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल,
धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त
वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को
आवंटित नहीं की गई है।


अध्यायक अभि.स.व.
विशेष सचिव, सो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


अधिशाली अभियन्ता
सहायक सचिव, सो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


Sub Divisional Magistrate
HALDWANI (Nainital)
Uttarakhand.


जिलाधिकारी
देवोतास.

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-
कालादूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80
सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान
वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

अध्यक्ष आ.म.रा.
विर्मा लख, लो० नि० वि.
हल्द्वानी (नैनीताल)

अध्यक्ष आ.म.रा.
विर्मा लख, लो० नि० वि.
हल्द्वानी (नैनीताल)

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्री०स्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

TH


 अध्यक्ष, जिला मजदूर
 विभाग, लखनऊ, सो० नि० वि०
 हल्द्वानी (नैनीताल)


 अध्यक्ष, जिला मजदूर
 विभाग, लखनऊ, सो० नि० वि०
 हल्द्वानी (नैनीताल)

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०पीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।
लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्रमांक	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1.	खेड़ा	26.71	534
2.	नवाड़खेड़ा	1108	277
3.	देवलातल्ला पजाया	467	93
4.	देवलामल्ला	565	112
5.	देवलातल्ला सिमलार	159	38
6.	कुवरपुर	529	132
7.	लाखनमंडी	581	345
8.	मल्लापचोनिया	454	75
9.	तल्लापचोनिया	264	52
10.	नयागाव कटान	585	97
11.	इन्दपुर	183	36
12.	गंगापुर	64	31
13.	उम्मेदपुर	155	26
14.	जयपुर खोलिया	364	61
15.	सीतापुर	596	98
16.	मदनपुर	448	71
17.	देवपुरदेवका	294	59
18.	बसंतपुर	451	90
19.	रतनपुर नेगी	328	65
20.	उदयपुर रैक्वाल	123	25
21.	भुसापुर	82	15
22.	धर्मपुर	106	20
23.	देवपुरदानी	127	24
24.	त्रिलोकपुर दानी	450	94
25.	हरिपुर ठठोला	44	6
26.	बासखेड़ा ईश्वरीदत्त	225	48
27.	सेलाभाबर त्रिलोक सिंह	138	24
28.	सेलाभाबर मेहर सिंह	121	20
29.	विजयपुर	278	60
30.	जगतपुर	585	120


सहायक जनिदम्ता
निर्वाह, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


सहायक जनिदम्ता
निर्वाह, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल) 80/-

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-
कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80
सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

(वन भूमि मूल्य का प्रमाण पत्र संलग्न है)

  
सहायक अभि. ग. व.
विशेष सचिव, सी० मि० व.
हल्द्वानी (नैनीताल)


अधिसूचक अभि. ग. व.
विशेष सचिव, सी० मि० व.
हल्द्वानी (नैनीताल)

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिज्डी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेसड कंक्रीट सेतु एवं पहुँच मार्ग का निर्माण।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिज्डी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेसड कंक्रीट सेतु एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि/गैर वनभूमि उपलब्ध नहीं है, जहाँ उक्त परियोजना का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, उक्त चयनित 0.46 है० वनभूमि का बाजार मूल्य/दर ₹ 2800000.00 (अठईस लाख रुपये) प्रति हैक्टेयर है। तदनुसार उक्त वनभूमि का कुल मूल्य ₹ बारह लाख अठासी हजार होता है।

पुलवारी लालमण्डल
01/04/2014

राज्य निरीक्षक
क्षेत्र काठगोदाम,
01/04/2014

तहसीलदार
हल्द्वानी
5/4

Sub Divisional Magistrate
HALDWAN (Nainital)
Uttarakhand

जिलाधिकारी
काठगोदाम

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज विजटी राज्य मार्ग के किमी 80 सूर्यनाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित उक्त वन भूमि 1.00 है० से कम है। अतः प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना / प्राकलन संलग्न किया जाना अनिवार्य नहीं है।

प्रयोक्ता एजेन्सी

उप प्रभाग वन प्रभाग
(गोला)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

वन क्षेत्राधिकारी
किरा पुर
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

वृक्षारोपण स्थल का नाम :-.....क्षेत्रफल हे०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या

क्रसं	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु० में)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन			
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)			
3	अग्निम दीवाल बन्दी (फन्सिंग)			
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्य हेतु प्राविधान			
5	गड्डा खुदान (0.30 x 0.30 x 0.45)			
6	निरीक्षण बटिया बनाना			
7	पौधों का मूल्य			
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्य पर व्यय			
9	अन्य कार्य			
	योग:-प्रथम चरण			
द्वितीय चरण				
1	गड्डा भरान (0.30 x 0.30 x 0.45)			
2	पौधों का मूल्य			
3	पौध डुलान कार्य			
4	पौधरोपण व थालाबन्दी			
5	निराई गुडाई व मल्टिंग (दो बार)			
6	खाद व दवा पर व्यय			
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय			
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			

	8.1 सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०			
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना			
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।			
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौधे डुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य			
10	अन्य कार्य			
	योग द्वितीय चरण			

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे० 2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना			
3	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का पाँचवें वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पाँचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			

योग :-			
--------	--	--	--

94

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत :- रि + 11

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हितस्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है। लागू नहीं है।

ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रमाण पत्र

96

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

परियोजना/मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण वहन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना/मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना को वहन करने को लो०नि०वि० सहमत है।


सहायक जॉयन्ट
मिनिस्टर, लो० नि० वि०
इलाहाबाद (बेचोताब)


अधिसूची अतिरिक्त
चर्मण खण्ड, लो० नि० वि०
इलाहाबाद (बेचोताब)

परियोजना का नाम:-

जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र, लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मी० स्पान के आर० सी० सी० प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट सेतु एवं पहुँच मार्ग।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना

क्र. स.	कार्य विवरण	सं०	मात्रा	दर	धनराशि रु० में
1	2	3	4	5	6
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमा निर्धारण कार्य	1	0.50 है०	73.00	36.50
2	कुरी युक्त क्षेत्र की सफाई एवं झाड़ी कटान कार्य	1	0.50 है०	6,476.00	3,238.00
3	गड़ड़ा खुदान कार्य (0.45 X 0.45 X 0.45)	1	0.50 है०	8,056.00	4,028.00
4	नर्सरी पर व्यय	1	0.50 है०	10,060.00	5,030.00
5	काँटेदार तार का मूल्य	1	0.50 कु०	4,824.00	2,412.00
6	तार लगाने का पारिश्रमिक	1	0.50 है०	1,001.00	500.50
7	आर०सी०सी० पोल की बनवाई	1	100.00 नग	263.00	26,300.00
8	आर० सी०सी० पोल का मौके तक ढुलान एवं लगाना	1	100.00 नग	57.18	5,718.00
9	गड़ड़ा भरान (0.45 X 0.45 X 0.45)	1	0.50 है०	896.00	448.00
10	पौधारोपण स्थानीय ढुलान सहित	1	0.50 है०	2,239.000	1,119.50
11	पौध ढुलान नर्सरी से मौके तक	1	0.50 है०	2,685.000	1,342.50
12	निराई-गुड़ाई	प्रथम 1 द्वितीय 1 तृतीय 1	0.50 है० 0.50 है० 0.50 है०	1,760.00 1,408.00 880.00	880.00 704.00 440.00
13	आग से बचाव हेतु खरपतवार दबाने हेतु जुताई/झाड़ी कटान आदि कार्य	1	0.50 है०	1,475.00	737.50
14	तारबाड़ के बाहर आग लाइन सफाई	1	0.50 है०	143.00	71.50
15	रोपण रक्षक का पारिश्रमिक 1 श्रमिक	1	8.00 माह	5,720.00	45,760.00
16	अन्य व्यय प्रथम वर्ष रखरखाव, प्रचार-प्रसार एवं डाक्यूमेंटेशन आदि	1	0.50 है०	2,192.66	1,096.33
योग:-					99,862.33
17	द्वितीय वर्ष रख रखाव	1	0.50 है०	11,346.00	5,673.00
18	तृतीय वर्ष रख रखाव	1	0.50 है०	11,284.00	5,642.00
19	चतुर्थ वर्ष रख रखाव	1	0.50 है०	11,284.00	5,642.00
20	पंचम वर्ष रख रखाव	1	0.50 है०	11,284.00	5,642.00
21	षष्ठम वर्ष रख रखाव	1	0.50 है०	11,284.00	5,642.00
22	सप्तम वर्ष रख रखाव	1	0.50 है०	11,284.00	5,642.00
23	अष्टम वर्ष रख रखाव	1	0.50 है०	11,284.00	5,642.00
24	नवम वर्ष रख रखाव	1	0.50 है०	11,284.00	5,642.00
25	दसम वर्ष रख रखाव	1	0.50 है०	11,284.00	5,642.00
कुल योग:-					150,671.33

वन विभाग अधिकारी
किशनपुर वन क्षेत्र
हराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी:

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गौला उप वन प्रभाग, हल्द्वानी
हराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रभागीय वनाधिकारी
हराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी

परियोजना का नाम- प्राकलन: बावत विधान सभा क्षेत्र लालकुआ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूंगी- हल्दानी-
कोरगलिया- सितारगंज- बिजटी राज्य मार्ग कि०मी० सं० 80 सूर्यानाला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रैस्ड
कंक्रीट सेतु के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु पहुँच मार्ग के दोनों ओर बायीं/दायीं साईट पर स्थित आरक्षित वन भूमि
डोलपोखरा 7 अ एवं 8 स की भूमि 0.14 है० का हस्तान्तरण।

रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों क वृक्षारोपण का प्राक्कलन

वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम- कालूखेड़ा कक्ष सं० 6 क्षेत्रफल- 1.00 है० में रोपित किये जाने वाले पौधों की
संख्या..... 100 पौध

G.P.S.- N- 29° 09' 45.4"
E- 079° 36' 30.7"

क्र. सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	1.00 है०	73.00	73.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1.00 है०	6474.00	6474.00
3	अग्रिम दीवाल बंदी (फैन्सिंग) मय तार/पोल/स्थापना सहित	1.00 है०	16394.00	16394.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अनियंत्रित कार्य हेतु प्राविधान	—	—	—
5	गड्डा खुदान (0.30x0.30x0.45)	100	5.819	581.90
6	निरीक्षण बटिया बनाना	1.00 है०	407.00	407.00
7	पौधों का मूल्य (दो वर्षीय पौध)	100	10.06	1006.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	1.00 है०	3073.00	3073.00
9	अन्य कार्य (श्रमिकों हेतु पानी की व्यवस्था)	—	L.S.	1000.00
योग प्रथम चरण:-				29008.90

द्वितीय चरण

1	गड्डा भरान (0.30x0.30x0.45)	100	6.72	672.00
2	पौधों का मूल्य	—	—	—
3	पौध ढुलान कार्य	100	2.685	102.685
4	पौधरोपण व थावलाबन्दी/स्थानीय ढुलान सहित	100	2.239	694.09
5	निराई गुड़ाई व मल्लिग (दो बार)	100	3.168	316.80
6	खाद व दवा पर व्यय	1.00 है०	39.00	39.00
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	8 माह	5280.00	42240.00
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1.00 है०	L.S.	1000.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	1.00 है०	143.00	143.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों का प्रोत्साहन देना	1.00 है०	L.S.	1000.00
9	अन्य व्यय साईन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी, आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पौलिथीन सीट क्रय वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी फील्ड सर्वेय कार्य को प्रचार प्रसार एवं डेक्कमैटेशन आदि कार्य	1.00 है०	3073.00	3073.00
10	अन्य कार्य (श्रमिकों हेतु पानी की व्यवस्था)	—	L.S.	1000.00
योग द्वितीय चरण:-				50280.58

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 है०	7920.00	7920.00
2	2.1 वृक्षारोपण के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1.00 है०	1475.00	1475.00
	2.2 सूखा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1.00 है०	155.00	155.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	1.00 है०	L.S.	1000.00
3	अन्य कार्य (तारबाड़ मरम्मत)	1.00 है०	387.00	387.00
योग:-				10937.00

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य/श्रमिक	1.00 है०	7920.00	7920.00
2	अन्य कार्य	1.00 है०	387.00	387.00
योग:-				8307.00

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 है०	7920.00	7920.00
2	अन्य कार्य/निराई गुड़ाई/झाड़ी कटान/आग लाईन सफाई/तारबाड़ मरम्मत	1.00 है०	3364.00	3364.00
योग:-				11284.00

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 है०	7920.00	7920.00
2	अन्य कार्य/निराई गुड़ाई/झाड़ी कटान/आग लाईन सफाई/तारबाड़ मरम्मत	1.00 है०	3364.00	3364.00
योग:-				11284.00

वृक्षारोपण का पांचवें वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 है०	7920.00	7920.00
2	अन्य कार्य	1.00 है०	3364.00	3364.00
योग:-				11284.00

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव

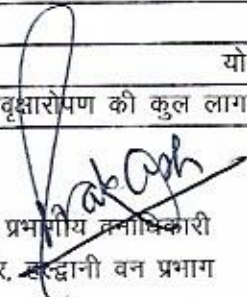
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 है०	7920.00	7920.00
2	अन्य कार्य	1.00 है०	3364.00	3364.00
योग:-				11284.00

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 है०	7920.00	7920.00
2	अन्य कार्य	1.00 है०	3364.00	3364.00
योग:-				11284.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत:- **154953.48**


उप प्रभारी वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी


उप प्रभारी वनाधिकारी
नन्धौर, हल्द्वानी वन प्रभाग


उप प्रभारी वनाधिकारी
छकाता रेंज हल्द्वानी
हल्द्वानी वन प्रभाग

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-विंजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

परियोजना/मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानो पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना/मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानो पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन करने को लो०नि०वि० सहमत है।

सहायक जनिपन्ता
विभाग, ल० नि० वि०
इलाहाबाद (पंजीकृत)

जनिपन्ता जनिपन्ता
विभाग, ल० नि० वि०
इलाहाबाद (पंजीकृत)

प्रपत्र-38

परियोजना का नाम- जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालादूंगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

पथ वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन
मोटरमार्ग का नाम- उक्त क्षेत्रफल 0.20 है०
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या- 200

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु० में)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.20	73	14.60
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	0.20	6476	1295.20
3	फैन्सिंग / ट्री-गार्ड	200	2450	490000.00
4	गड़डा खुदान (0.30x 0.30 x 0.45)	200	5.819	1163.80
5	पौधों का मूल्य	200	50	1000.00
6	अन्य कार्य	0.20	500	100.00
	योग-प्रथम चरण			493573.60
द्वितीय चरण				
1	गड़डा भरान (0.30x 0.30 x 0.45)	200	0.672	134.40
2	पौधों का मूल्य	200	100.00	20000.00
3	पौधे डुलान कार्य	200	15.00	3000.00
4	पौधरोपण व थालाबन्दी	200	6.00	1200.00
5	निराई गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	200	3.16	632.00
6	खाद व दवा पर व्यय	200	5.00	1000.00
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	200	60.00	12000.00
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौधे डुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार-प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य।	0.20	100	200.00
10	अन्य कार्य	0.20	1573	314.60
	योग द्वितीय चरण			38481.00

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना प्रति है0 2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।		12050	-
3	अन्य कार्य			
	योग		12050	-

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य		11988	-
	अन्य कार्य			
	योग		11988	-

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य		11988	-
	अन्य कार्य			
	योग		11988	-

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य		11988	-
	अन्य कार्य			
	योग		11988	-

वृक्षारोपण का पाँचवें वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य		11988	-
	अन्य कार्य			
	योग		11988	-

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य		11988	-
	अन्य कार्य			
	योग		11988	-

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य		11988	-
	अन्य कार्य			
	योग		11988	-
	कुल योग		626506	-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत- 626506.00

वन सहायिका
विश्वपुर

वन प्रशासक वनाधिकारी
(गोला)

वनाधिकारी
हराई पूर्व वन प्रभाग

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई धनराशि से सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

पथ वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

मोटर मार्ग का नाम :-क्षेत्रफल हे०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या

क्रसं	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु० में)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन			
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)			
3	फन्सिंग/ट्री-गार्ड			
4	गड़डा खुदान (0.30 x 0.30 x 0.45)			
5	पौधों का मूल्य			
6	अन्य कार्य			
	योग:-प्रथम चरण			
द्वितीय चरण				
1	गड़डा भरान (0.30 x 0.30 x 0.45)			
2	पौधों का मूल्य			
3	पौध डुलान कार्य			
4	पौधरोपण व थालाबन्दी			
5	निराई गुडाई व मल्विंग (दो बार)			
6	खाद व दवा पर व्यय			
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय			
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध डुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य			

10	अन्य कार्य			
	योग द्वितीय चरण			

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे० 2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्तुखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना			
3	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का पाँचवें वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पाँचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
---	---	--	--	--

अन्य कार्य			
योग :-			

105

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत :- $\leftarrow$ रिक्त $\rightarrow$

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नाम:-

जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र, लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- बिजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मी० स्पान के आर० सी० सी० प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट सेतु एवं पहुँच मार्ग।

प्रभावित वृक्षों की 10 गुना संख्या में वृक्षारोपण योजना

क्र.सं.	कार्य विवरण	सं०	मात्रा	दर	धनराशि रु० में	
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमा निर्धारण कार्य	1	0.15 है०	73.00	10.95	
2	कुरी युक्त क्षेत्र की सफाई एवं झाड़ी कटान कार्य	1	0.15 है०	6,476.00	971.40	
3	गड़ड़ा खुदान कार्य (0.45 X 0.45 X 0.45)	1	0.15 है०	8,056.00	1,208.40	
4	नर्सरी पर व्यय	1	0.15 है०	10,060.00	1,509.00	
5	कॉटेदार तार का मूल्य	1	0.15 है०	4,824.00	723.60	
6	तार लगाने का पारिश्रमिक	1	0.15 है०	1,001.00	150.15	
7	आर०सी०सी० पोल की बनवाई	1	100.00 नग	263.00	26,300.00	
8	आर० सी०सी० पोल का मौके तक ढुलान एवं लगाना	1	100.00 नग	57.18	5,718.00	
9	गड़ड़ा भरान (0.45 X 0.45 X 0.45)	1	0.15 है०	896.00	134.40	
10	पौधारोपण स्थानीय ढुलान सहित	1	0.15 है०	2,239.00	335.85	
11	पौध ढुलान नर्सरी से मौके तक	1	0.15 है०	2,685.00	402.75	
12	निराई-गुड़ाई	प्रथम	1	0.15 है०	1,760.00	264.00
		द्वितीय	1	0.15 है०	1,408.00	211.20
		तृतीय	1	0.15 है०	880.00	132.00
13	आग से बचाव हेतु खरपतवार दवाने हेतु जुताई/ झाड़ी कटान आदि कार्य	1	0.15 है०	1,475.00	221.25	
14	तारबाड़ के बाहर आग लाइन सफाई	1	0.15 है०	143.00	21.45	
15	रोपण रक्षक का पारिश्रमिक 1 श्रमिक	1	8.00 नाह	5,720.00	45,760.00	
16	अन्य व्यय प्रथम वर्ष रखरखाव, प्रचार-प्रसार एवं डाक्यूमेंटेशन आदि	1	0.15 है०	2,192.66	328.90	
कुल योग:-					84,403.30	
17	द्वितीय वर्ष रख रखाव	1	0.15 है०	11,346.00	1,701.90	
18	तृतीय वर्ष रख रखाव	1	0.15 है०	11,284.00	1,692.60	
19	चतुर्थ वर्ष रख रखाव	1	0.15 है०	11,284.00	1,692.60	
20	पंचम वर्ष रख रखाव	1	0.15 है०	11,284.00	1,692.60	
21	षष्ठम वर्ष रख रखाव	1	0.15 है०	11,284.00	1,692.60	
22	सप्तम वर्ष रख रखाव	1	0.15 है०	11,284.00	1,692.60	
23	अष्टम वर्ष रख रखाव	1	0.15 है०	11,284.00	1,692.60	
24	नवम वर्ष रख रखाव	1	0.15 है०	11,284.00	1,692.60	
25	दसम वर्ष रख रखाव	1	0.15 है०	11,284.00	1,692.60	
कुल योग:-					99,646.00	

वन क्षेत्र अधिकारी
किशनपुर विभागाक्षेत्र
मिना पुर
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गौला उप(वन)प्रभाग, हल्द्वानी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रियोजना का नाम:- प्राकलन: बावत विधान सभा क्षेत्र लालकुआ के अन्तर्गत रामनगर- कालादूंगी- हलदानी- चोरगलिया- सितारगंज- बिजटी राज्य मार्ग कि०मी० सं० 80 सूर्यानाला में 100 मी० स्पान के अन्तर्गत प्रीस्ट्रैस्ड कंक्रीट सेतु के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु पहुँच मार्ग के दोनों ओर बायीं/दायीं साईट पर स्थित आरक्षित वन भूमि डोलपोखरा 7 अ एवं 8 स की भूमि 0.14 है० का हस्तान्तरण।
काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में दस गुना वृक्षों अथवा न्यूनतम 100 वृक्षों के रोपण हेतु प्राकलन मय रख रखाव।

वृक्षारोपण योजना का प्राकलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम:- कालुखेड़ा कक्ष सं० 6 क्षेत्रफल 1.00 है० में रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या..... 140 पौध

G.P.S.- N- 29° 09' 45.4"
E- 079° 36' 30.7"

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	1.00 है०	73.00	73.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1.00 है०	6474.00	6474.00
3	अग्रिम दीवाल बंदी (फैन्सिंग) मय तार/पोल/स्थापना सहित	1.00 है०	16394.00	16394.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्य हेतु प्राविधान	—	—	—
5	गड्डा खुदान (0.30x0.30x0.45)	140 ग०	5.819	814.66
6	निरीक्षण बटिया बनाना	1.00 है०	407.00	407.00
7	पौधों का मूल्य (दो वर्षीय पौध)	140	10.06	1408.40
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्य पर व्यय	1.00 है०	3073.00	3073.00
9	अन्य कार्य (श्रमिकों हेतु पानी की व्यवस्था)	—	L.S.	1000.00
योग प्रथम चरण:-				29644.06

द्वितीय चरण

1	गड्डा भरान (0.30x0.30x0.45)	140 ग०	6.72	940.80
2	पौधों का मूल्य	—	—	—
3	पौध डुलान कार्य	140 पौध	2.685	375.90
4	पौधरोपण व थावलाबन्दी/स्थानीय डुलान सहित	140 पौध	2.239	313.46
5	निराई गुडाई व मल्लिग (दो बार)	140 पौध	3.168	443.52
6	खाद व दवा पर व्यय	1.00 है०	39.00	39.00
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	8 माह	5280.00	42240.00
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1.00 है०	L.S.	1000.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	1.00 है०	143.00	143.00

8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों का प्रोत्साहन देना	1.00 हे०	L.S.	1000.00
9 अन्य व्यव साईन बोर्ड पीछे दुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी, आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पौलिथीन सीट क्रय वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार प्रसार एवं डेक्कमेंटेशन आदि कार्य	1.00 हे०	3073.00	3073.00
10 अन्य कार्य (श्रमिकों हेतु पानी की व्यवस्था)	—	L.S.	1000.00
योग द्वितीय चरण—			50568.68

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव

1 रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 हे०	7920.00	7920.00
2 2.1 वृक्षारोपण के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	1.00 हे०	1475.00	1475.00
2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1.00 हे०	155.00	155.00
2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	1.00 हे०	L.S.	1000.00
3 अन्य कार्य (तारबाड़ मरम्मत)	1.00 हे०	387.00	387.00
योग—			10937.00

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव

1 रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य/श्रमिक	1.00 हे०	7920.00	7920.00
2 अन्य कार्य	1.00 हे०	387.00	387.00
योग—			8307.00

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव

1 रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 हे०	7920.00	7920.00
2 अन्य कार्य/निराई गुड़ाई/झाड़ी कटान/आग लाईन सफाई/तारबाड़ मरम्मत	1.00 हे०	3364.00	3364.00
योग—			11284.00

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव

1 रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 हे०	7920.00	7920.00
2 अन्य कार्य/निराई गुड़ाई/झाड़ी कटान/आग लाईन सफाई/तारबाड़ मरम्मत	1.00 हे०	3364.00	3364.00
योग—			11284.00

वृक्षारोपण का पांचवें वर्ष का रख-रखाव

1 रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 हे०	7920.00	7920.00
2 अन्य कार्य	1.00 हे०	3364.00	3364.00
योग—			11284.00

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव

1 रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 हे०	7920.00	7920.00
2 अन्य कार्य	1.00 हे०	3364.00	3364.00
योग—			11284.00

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव

1 रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 हे०	7920.00	7920.00
2 अन्य कार्य	1.00 हे०	3364.00	3364.00
योग—			11284.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत: 155876.74

प्रभागीय वनमन्त्रिणी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रभागीय वन अधिकारी
उप-प्रभागीय वन अधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी
नेम्बोर, हल्द्वानी वन प्रभाग

वन सहायक अधिकारी
छाता वन प्रभाग
हल्द्वानी वन प्रभाग

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०पीरस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

पारेषण लाईन/रोपवे के कोरिडोर के नीचे बौनी प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन
वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

मोटर मार्ग का नाम :-.....क्षेत्रफल हे०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या

क्रसं	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु० में)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन			
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)			
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग)			
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्य हेतु प्राविधान			
5	गड्डा खुदान (0.30 x 0.30 x 0.45)			
6	निरीक्षण बटिया बनाना			
7	पौधों का मूल्य			
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्य पर व्यय			
9	अन्य कार्य			
	योग:-प्रथम चरण			
द्वितीय चरण				
1	गड्डा भरान (0.30 x 0.30 x 0.45)			
2	पौधों का मूल्य			
3	पौध दुलान कार्य			
4	पौधरोपण व थालाबन्दी			
5	निराई गुडाई व मल्लिंग (दो बार)			
6	खाद व दवा पर व्यय			
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय			
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०			

	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना			
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्सेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।			
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौधे डुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलिथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्क्यूमेंटेशन आदि कार्य			
10	अन्य कार्य			
	योग द्वितीय चरण			

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हैं0 2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्सेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना			
3	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का पाँचवें वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पाँचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का छठें वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुसूचक कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुसूचक कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

संतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत :-

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुओं के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूंगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

उक्त कार्ययोजना का निर्माण मैदानी क्षेत्र में किया जाना है परियोजना निर्माण के दौरान मलुवा उत्पादित नहीं होना है बल्कि समतलीकरण एवं पहुंच मार्ग हेतु अतिरिक्त मलुवा/मिट्टी आदि की आवश्यकता होगी अतएव परियोजना निर्माण के दौरान उत्पादित मलवे के निस्तारण हेतु मकडिस्पोजल प्लान(मलुवा निस्तारण योजना व मानचित्र) की आवश्यकता नहीं है।

परियोजना से उत्पादित मलुवा के वैज्ञानिक विधि से उचित निस्तारण की योजना मय मानचित्र व उपचार योजना के प्राक्कलन

क०सं०	कार्य मद	संख्या	दर/इकाई	कुल धनराशि
-------	----------	--------	---------	------------

.....शून्य.....


अध्यक्ष अभियाना:
विशेष सचिव, को० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.


अभियाना अभियाना:
निर्माण सचिव, को० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


वन क्षेत्राधिकारी
किशनपुर
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी:

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(गोला)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.


प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग


वन क्षेत्राधिकारी
उकाता राजि
हल्द्वानी वन प्रभाग


उप प्रभागीय वनाधिकारी
मन्धौर उप प्रभाग हल्द्वानी

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत रामनगर-कालादूगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज विजटी राज्य मार्ग के किमी 80 सूर्यनाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश सं० 5-/2007-एफ०सी० दिनांक 5.2.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है।

1. ईको-क्लास श्रेणी	—	III
2. हरियाली का घनत्व	—	0. — 0.10
3. एन०पी०वी० की दर प्रति है०	—	6,26,000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	—	0.32 है०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि —		2,00,320.00

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(गोला)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

प्रपत्र-42

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-
बालादुंगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80
सूर्य नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के
आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार
आवंटित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी.....III...
2. हलियाली का घनत्व.....0.00-0.10
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे०.....6,26,000.00
4. आवंटित वन भूमि का क्षेत्रफल.....0.14 हे०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि.....87,640.00

प्रमाणित
वन अधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग

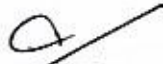
वन प्रशासक वन अधिकारी
रन्धौर वन प्रभाग हल्द्वानी

प्रमाणित वन अधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

एन०पी०वी० की देयता का प्रमाण पत्र

उक्त विषयक परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में निर्धारित कर उल्लेखित एन०पी०वी० की धनराशि को ~~देने के लिये~~ लोक निर्माण विभाग देने के लिये सहमत है।


सहायक अभियन्ता

विभाग सप्प, लो० नि० वि,

हल्द्वानी (देवीवाब)




सहायक अभियन्ता

नगरपालिका, लो० नि० वि

हल्द्वानी (देवीवाब)

प्रपत्र-43

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

अधिकारी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो० नि० बि०

हल्द्वानी (नैनीताल)

अधिकारी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो० नि० बि०

हल्द्वानी (नैनीताल)

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत रामनगर-कालादूर्गी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज विजटी राज्य मार्ग के किमी० 80 सूर्यनाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

प्रस्तावित वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों से सीमांकन कार्य किये जाने का प्रांकलन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र० सं०	कार्य का नाम	इकाई / सं०	नपत (मी० में)			मात्रा	दर(रु०में)	घनराशि (रु० में)
			ल०	चौ०	ऊँ०			
1	आर०सी०सी० पिलर निर्माण हेतु गडढा खोदना	6	0.75	0.75	1.00	3.315(घनमी०)	187.००	6311.25
2	आर०सी०सी० पिलर के बेस पर चूना व कोयला डालना	6	—	—	—	—	ल०स०	500.00
3	1:2:4 सीमेंट मसाले में आर०सी०सी० पिलर निर्माण	6	0.75	0.75	1.55	5.23(घनमी०)	5184.००	27112.32
4	आर०सी०सी० पिलर निर्माण हेतु सरीया कय करना	—	—	—	—	4.10 कु०	4700.००	19270.00
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	6X4	0.75	—	0.50	9.00 वर्ग मी०	145.००	1305.00
6	पिलर में पिलर सं० आदि लिखना	—	—	—	—	6 नग	45.००	270.00
7	पानी की ढुलाई आदि	—	—	—	—	—	—	300.00
	कुल योग							55068.57 या 55060.00

वन विभागाधिकारी
किशोरीपुर
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(गोला)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

प्रपत्र -44

परियोजना का नाम— प्राकलन: बावत विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत रामनगर— कालाढूंगी— हल्द्वानी— चोरगलिया—
 विस्तार— बिजली राज्य मार्ग कि०मी० सं० 80 सूर्यानाला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रैस्ड कंक्रीट सेतु के पहुँच मार्ग
 तथा नु युव मार्ग के दोनों ओर बायीं/दायीं साईट पर स्थित आरक्षित वन भूमि डोलपोखरा 7 अ एवं 8 स की भूमि 0.14 हे०
 को हस्तान्तरण पर सीमांकन कर आर०सी०सी० पीलरों का निर्माण।

परियोजना परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पीलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

हल्द्वानी वन प्रभाग

वर्ष:- 2014-15

कार्य का विवरण	सं०	नपत मीटर में			मात्रा	दर	धनराशि
		ल०	चौ०	ऊँ./ग.			
	3	4	5	6	7	8	9
परियोजना का नाम नु युव सुदान	25	0.75	0.30	0.75	4.22	187.00	788.91
परियोजना का नाम नु व कोयला	25	—	—	—	50.00	100.00	5000.00
परियोजना का नाम नु व कोयला	25	0.75	0.30	1.50	8.44	5798.80	48927.38
परियोजना का नाम नु व कोयला		8.437x0.785		6.62	6.62	5500.00	36410.00
परियोजना का नाम नु व कोयला		25x2 (0.75+0.30)		0.75	39.38	145.00	5709.38
परियोजना का नाम नु व कोयला	25	—	—	—	25.00	100.00	2500.00
परियोजना का नाम नु व कोयला	25	—	—	—	—	LS	5000.00
						योग—	104335.66
						या—	

वन विभाग
 नन्दार राज, हल्द्वानी वन प्रभाग

वन विभाग
 नन्दार राज, हल्द्वानी वन प्रभाग

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूँगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग उक्त परियोजना निर्माण हेतु आर०सी०सी० पिलरो के सीमांकन से सम्बन्धित व्यय को वहन करने के लिये सहमत है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, पो० नि० वि०
हल्द्वानी (देवीडाबा)


अधिसूचक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, पो० नि० वि०
हल्द्वानी (देवीडाबा)

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-
कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80
सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०पीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण

लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि को लीज पर नहीं
लिया जा रहा है क्योंकि यह एक स्थाई दीर्घकालीक परियोजना है।


उपस्थित अभियन्ता,
विभागीय सचिव, ज० नि० वि०,
हल्द्वानी (नैनीताल)


अतिरिक्त अभियन्ता,
विभागीय सचिव, ज० नि० वि०,
हल्द्वानी (नैनीताल)


प्रभागीय वन अधिकारी
बराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.


प्रभागीय वन अधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-
कालादूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80
सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०पीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन
संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

अत्याधिक अधिकारी,
विजटी खण्ड, लो० नि० वि.
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

अत्याधिक अधिकारी,
विजटी खण्ड, लो० नि० वि.
हल्द्वानी (नैनीताल)

वन क्षेत्र अधिकारी
किरातपुर
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(गोला)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

अत्याधिक अधिकारी
विजटी खण्ड, लो० नि० वि.
हल्द्वानी (नैनीताल)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी.

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

परियोजना का नाम- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-
कातादुंगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80
सूरा नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण

(उक्त परियोजना पर यह प्रमाण पत्र लागू नहीं है)


प्रमाणित किया जाता है कि
निर्माण कार्य, जो.नि.वि.
हल्द्वानी (बेबीटाक)


निर्माण कार्य, जो.नि.वि.
हल्द्वानी (बेबीटाक)